

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1816/2011/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत-सी, जोधपुर।
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स विष्णु आयल एवं दाल मिल, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अमर सिंह चौधरी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 11/09/2017


निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 55/आरवेट /जेयूसी/09-10 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-सी, जोधपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23, 24 के तहत आरोपित मांग राशियों को आंशिक स्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा कर योग्य (दाल तथा ऑयल) तथा कर मुक्त चूरी का निर्माण किया जाता है। प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 01.04.2006 को शेष रहे अंतिम स्टॉक पर आई.टी.सी. का क्लेम प्रस्तुत किया जिसकी जांच की जाकर Finished goods पर आई.टी.सी. देय होने पर अस्वीकार की गई। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी पर रिवर्स टैक्स, आईटीसी एवं शास्ति एवं ब्याज आरोपित किया गया। जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.02.2011 के द्वारा आंशिक स्वीकार कर ली। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी कर योग्य माल का निर्माता है। चौकर के निर्माण में गेहूं का प्रयोग होता है अतः सशक्त अधिकारी ने सही तौर पर रिवर्स टैक्स का आरोपण किया गया था जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर विधिक त्रुटि कारित की है अतः उन्होंने रिवर्स टैक्स को पुनः बहाल करने का निवेदन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी कर योग्य माल का निर्माता है तथा कर मुक्त माल चूरी केवल एक सह उत्पाद है। उनका कथन है कि गेहूं का आटा, मैदा, सूजी का निर्माण किए जाने के दौरान चौकर सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। चौकर चूंकि कर मुक्त है अतः इस पर किसी प्रकार का कोई रिवर्स टैक्स आरोपित नहीं किया जा सकता है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी कर योग्य माल का निर्माता है तथा कर मुक्त माल चूरी केवल एक सह उत्पाद है। उनका कथन है कि गेहूं का आटा, मैदा, सूजी का निर्माण किए जाने के दौरान चौकर सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये उद्धरण "माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय वाणिज्य कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03" में चौकर जो कि एक कर मुक्त वस्तु है उसके निर्माण के अनुपात में माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आलोक में आई.टी.सी. देय नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। विभाग की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य